



कार्यालय: प्रधानाचार्य, राजर्षि दशरथ, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अयोध्या।
पत्रांक:- मे0का0अ0 / विज्ञापन / 2025 / 3201
दिनांक: 16 / 12 / 2025

-सेवायोजन विज्ञप्ति-

राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या में संचालित कालेज ऑफ नर्सिंग में निम्नलिखित रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरे/नियुक्त किये जाने हेतु साक्षात्कार (वॉक-इन-इन्टरव्यू) उपरान्त चयन की कार्यवाही की जानी है। चयन हेतु साक्षात्कार की कार्यवाही दिनांक 17.01.2026 (शनिवार) को प्रातः 11 बजे से अपराह्न 02 बजे के मध्य काउंसिल हाल, गंजा परिसर में संपन्न होगी। उक्त पदों के लिए आयु, मानदेय आदि का विवरण निम्नवत है-

रिक्त पदों का विवरण

Sr.No.	Post	College of Nursing				
		UR	OBC	SC	EWS	Total
1	Principal cum Professor	01	-	-	-	01
2	Vice Principal cum Professor	01	-	-	-	01

उक्त संविदा पदों पर चयन की प्रक्रिया चयन समिति की संस्तुति के आधार पर पूर्ण की जायेगी। रिक्त पदों पर समय-समय पर आरक्षण हेतु जारी शासनादेशों का अनुपालन किया गया है। पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

-:शैक्षणिक अर्हता/अनुभव:-

S.N.	Post Name	Qualification & Experience
1	Principal cum Professor	Essential Qualification: M.Sc. (Nursing) Experience: M. Sc. (Nursing) having total 15 years Experience with M.Sc (Nursing) out of which 10 years after M.Sc. (Nursing) in collegiate program. Ph.D. (Nursing) is desirable
2	Vice Principal cum Professor	Essential Qualification: M.Sc. (Nursing) Experience: M. Sc. (Nursing) having total 12 years Experience with M.Sc (Nursing) out of which 10 years teaching experience after M.Sc. (Nursing). Ph.D. (Nursing) is desirable

संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत हैं:-

- संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले नर्सिंग शिक्षकों को शासनादेश संख्या: 57 / 2022 / I / 156557 / 2022 / 71-1005(001) / 20 / 2021, दिनांक 15.04.2022 में निर्धारित शर्तें एवं प्रतिबंध लागू रहेंगे।
- वेतन के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते, बोनस एवं पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा।
- नर्सिंग शिक्षकगण स्थानांतरित नहीं किए जायेंगे।
- संविदा पर नियुक्त किये जाने वाले शिक्षकगण यथा प्रधानाचार्य कम प्रोफेसर रु० 1,40,000/-, वाईस प्रिंसिपल कम प्रोफेसर को रु० 1,20,000/- का नियत मानदेय प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा।
- संविदा पर नियुक्त किये जाने वाले नर्सिंग शिक्षकों को वही मानदेय प्रदान किया जायेगा जो शासन द्वारा निर्धारित किया गया है।
- नर्सिंग शिक्षकों की ड्यूटी 08 घण्टे की होगी, किसी भी कार्य दिवस में अनुपस्थित रहने पर उस दिवस के वेतन की धनराशि प्रदान नहीं की जायेगी।
- संविदा कर्मियों को आकस्मिक अवकाश/चिकित्सा अवकाश वर्ष में अधिकतम 14 तथा राजपत्रित अवकाश पूर्व में अनुमति के पश्चात देय होंगे।
- यदि कोई संविदा कर्मी बिना किसी विशिष्ट कारण अथवा सूचना के अपनी ड्यूटी से एक सप्ताह से अधिक अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- नर्सिंग शिक्षकों का संविदा कार्यकाल 02 वर्ष का होगा। 02 वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात् सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थी/नियमित नर्सिंग शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर सेवा को पुनः 01 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

10. संविदा पर नियुक्त नर्सिंग शिक्षकों को आदेश जारी होने के 01 माह के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। उक्त कालावधि में कार्यभार न ग्रहण करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी।
11. सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।
12. संविदा छोड़ने की स्थिति में एक माह पूर्व नोटिस या नोटिस न देने की स्थिति में 01 माह का मानदेय जमा करना होगा।
13. संविदा कार्मिक की सेवाये सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी के उपलब्ध होने पर Last Come First Go के आधार पर तत्काल समाप्त हो जायेगी।
14. ट्यूटर के पदों पर "Walk-in-Interview" के माध्यम से चयन प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।
15. साक्षात्कार के समय समस्त वांछित मूल अभिलेख तथा उनकी एक स्व प्रमाणित (Self Attested) छायाति एवं फोटो अवश्य लाये।
16. साक्षात्कार हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को यात्रा भात्ता आदि देय नहीं होगा।
17. सरकार/आई०एन०सी० के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों का ही शैक्षणिक अनुभव मान्य होगा।
18. आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) प्रमाणपत्र वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये मान्य ही स्वीकार होगा।
19. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) प्रमाण पत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2025 के पश्चात का ही मान्य होगा।
20. उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों/अनुभूतिनातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार को अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों के अनुरूप आकाल अनुमन्य होगा।
21. संविदा पर कार्यरत नर्सिंग शिक्षक भविष्य में विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
22. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि "उनके विरुद्ध माननीय न्यायलय में कोई आपराधिक वाद प्रचलित नहीं है और यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवाये समाप्त कर दी जायेगी"।


प्रधानाचार्य

राजरषि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय
अयोध्या।

पत्रांक-मे0का0अ0/विज्ञापन/2025/

तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. प्रधानाचार्या, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अयोध्या।
4. आई0टी0 सेक्शन को इस आशय से प्रेषित कि आप उक्त विज्ञापित को चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या की वेबसाइट www.asmcayodhya.ac.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. गार्ड फाइल।

/

प्रधानाचार्य

राजरषि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय
अयोध्या।